E-Mail ID cfgarhwalp@gmail.com, cfgarhwal555@gmail.com, Phone/Fex 01368-222566

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांकः— 575 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, सितम्बर 24, ,2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, देहरादून।

विषय— **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ— **भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्राल एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखण्ड देहरादून का पत्रांक 8बी/यू0सी0पी0/06/84/2018/एफ0सी0/1022 दिनांक 21.10.2022**

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 750/12—1 दिनॉक 22.08.2024 से भारत सरकार क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा चाही गई सूचना निम्नवत् इस कार्यालय को प्रेषित की गई है—

क्र0सं0	भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना	अनुपालन
1	State Government is requested to submit the CA scheme of Rs. 17,90,141/- based on which the amount has been deposited in CAMPA.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक 750/12—1 दिनॉक 22.08.2024 से अवगत कराया गया है कि रू0 17,90,141/— की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, के प्राक्कलन की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—1)**
2	State Government is requested to submit the Khatauni.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक—2)**
3	State Government is requested to upload the complete compliance at para 21 in Part II of the proposal.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Compliance रिपोर्ट पूर्व में परिवेश पोर्टल में ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
4	It was observed that there is some deviation from the approved alignment. The Site Inspection Report of the concerned DFO is required to be submitted in this regard.	प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा अपने उपरोक्त पत्र से अवगत कराया गया है कि विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा दिनांक 15.03.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रथम दृष्टया मोटर मार्ग के निर्धारित समरेखण में विचलन पाया गया, जिसके क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, पौड़ी को विचलन के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वीकृत समरेखण के अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्र में 403 मीटर अवैध मोटर मार्ग का निर्माण पाया गया। प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा वन विभाग एवं कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में निम्नानुसार अवैध मोटर मार्ग का निर्माण पाया गया

प्रभारी पौड़ी
आ॰ का॰ केन्द्र,
प्र॰ व॰ सं॰/नि॰
30-9-24

क्रमशः पेज 02 पर

प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्र सं0 1428
पत्रावली 12-1
दिनांक 4-10-24

		आरक्षित वन क्षेत्र – अगस्वाड़ा कक्ष सं0 12 अतिरिक्त अवैध मोटर मार्ग का निर्माण – 403 मीटर अवैध मोटर मार्ग की चौड़ाई – 7.00 से 9.00 मीटर। कुल प्रभावित वन भूमि – 0.3627 है0। प्रभावित वृक्ष – कोई प्रमाण नहीं पाये गये। उक्त के अतिरिक्त अवैध मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग समरेखण का अन्तिम भाग गांवो के नापखेतों में था, मोटर मार्ग निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध किये जाने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समरेखण में परिवर्तन कर मोटर मार्ग का निर्माण दिनांक 12.04.2020 से 20.05.2020 तक किया गया। उक्त अवैध निर्माण के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी द्वारा तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके क्रम में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवैध निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कोविड लॉक डाउन के दौरान किया गया है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना उनके संज्ञान में नहीं आयी। आरक्षित वन क्षेत्र में उक्त अवैध मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के कार्यभारिक कनिष्ठ अभियन्ता एवं मैसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन, डोभाल मार्ग, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल प्रोपराईटर श्री अनिल डोभाल के विरूद्ध एच–2 केस जारी किया गया है।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

पत्रांक 576 / 12-1 **दिनॉक**

प्रतिलिपिः– प्रभागीय वनाधिकारी प्रभागीय वनाधिकारी गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी को उनके उपरोक्त पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(आकाश कुमार वर्मा)
वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी

JAIDEEP

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

Email :- dfo_pauri_uta@yahoo.co.in , **Fax no:-**01368-222215

पत्रॉकः– [redacted] 750 / 12-1 : दिनॉकः पौड़ी, माह, अगस्त, 22 . 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय– **जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ– आपकी पत्र सं0 711 / 12–1, दिनॉक 14–09–2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी. / 06 / 84 / 2018 / एफ.सी. / 1022, दिनांक 21.10.2022 से प्रस्ताव में पाई गई आपत्तियों का निराकरण कर आख्या निम्न प्रकार सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है:–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तरालेख
1	State Government is requested to submit the CA scheme of Rs. 17,90,141/- based on which the amount has been deposited in CAMPA.	**बिन्दु सं0–1** के अनुपालन में अवगत करना है कि रू0 17,90,141 / – की क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना जिसके आधार पर कैम्पा कोष में धनराशि जमा की गई है, के प्राक्कलन की छाया प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–1)**
2	State Government is requested to submit the Khatauni.	**बिन्दु सं0–2** के अनुपालन में खतौनी संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। **(संलग्नक–2)**
3	State Government is requested to upload the complete compliance at para 21 in Part II of the proposal.	**बिन्दु सं0–3** के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्तावक विभाग द्वारा Compliance रिपोर्ट पूर्व में परिवेश पोर्टल में ऑन लाईन अपलोड कर दी गई है।
4	It was observed that there is some deviation from the approved alignment. The Site Inspection Report of the concerned DFO is required to be submitted in this regard.	**बिन्दु सं0–4** के क्रम में अवगत करना है कि विषयांकित मोटर मार्ग के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 15.03.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसमें प्रथम दृष्टया मोटर मार्ग के निर्धारित समरेखण में विचलन पाया गया, जिसके क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, पौड़ी को विचलन के सम्बन्ध में विस्तृत आख्या प्रेषित करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त के क्रम में उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, पौड़ी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें स्वीकृत समरेखण के अतिरिक्त आरक्षित वन क्षेत्र में 403 मीटर अवैध मोटर मार्ग का निर्माण पाया गया। अधोहस्ताक्षरी द्वारा वन विभाग एवं कार्यदायी संस्था पी0एम0जी0एस0वाई, सिंचाई खण्ड, श्रीनगर को संयुक्त स्थलीय निरीक्षण हेतु निर्देशित किया गया। उक्त संयुक्त स्थलीय निरीक्षण में निम्नानुसार अवैध मोटर मार्ग का निर्माण पाया गया– आरक्षित वन क्षेत्र – अगस्वाड़ा कक्ष सं0 12 अतिरिक्त अवैध मोटर मार्ग का निर्माण – 403 मीटर। अवैध मोटर मार्ग की चौड़ाई – 7.00 से 9.00 मीटर। कुल प्रभावित वन भूमि – 0.3627 है0। प्रभावित वृक्ष – कोई प्रमाण नहीं पाये गये। उक्त के अतिरिक्त अवैध मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा अवगत कराया गया कि स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार मोटर मार्ग समरेखण का अन्तिम भाग गांवो के नापखेतों में था, मोटर मार्ग निर्माण के दौरान स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भारी विरोध किये जाने के कारण प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा समरेखण में परिवर्तन कर मोटर मार्ग का निर्माण दिनांक 12.04.2020 से 20.05.2020 तक किया गया।

		उक्त अवैध निर्माण के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके कम में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवैध निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कोविड लॉक डाउन के दौरान किया गया है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना उनके संज्ञान में नहीं आयी। आरक्षित वन क्षेत्र में उक्त अवैध मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के कार्यभारिक कनिष्ठ अभियन्ता एवं मैसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन, डोभाल मार्ग, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल प्रोपराईटर श्री अनिल डोभाल के विरूद्ध एच–2 केस जारी किया गया है।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपके द्वारा चाही गई वांछित सूचना सन्दर्भित पत्र के कम में बिन्दुवार निम्न प्रकार से प्रेषित की जा रही है:–

1– बिन्दु सं0–1 के अनुपालन में अवगत करना है कि अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा क0सं0 12) में निर्माण कार्य किस तिथि को प्रारम्भ हुआ व किस तिथि को कार्य समाप्त हुआ तथा निर्माण कार्य के सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र सं0 2387/12–1, दिनांक 06.01.2024 से प्रस्तावक विभाग (अधिशासी अभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर–1 गढ़वाल) को लिखा गया जिसके कम में प्रस्तावक विभाग ने अपनी पत्र सं0 34/पी0एम0जी0एस0वाई0 सिं0ख0 श्रीनगर–1 दिनांक 08–01–2024 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि उक्त मोटर मार्ग पर स्टेज–I मार्ग निर्माण हेतु पहाड़ कटान का कार्य अनुबंध संख्या–116/यू0टी0–08–25 (I)/XIV/CE-URRDA/2018-19 दिनांक 26.11.2018 के अन्तर्गत दिनांक 03.12.2018 से कार्य प्रारम्भ किया गया। मार्ग के 403 मी0 आरक्षित वन (अगस्वाड़ा क0सं0 12) में निर्माण कार्य दिनांक 12.04.2020 से 20.05.2020 तक किया गया, **(संलग्नक–1)**। तत्पश्चात विषयगत मोटर मार्ग निमार्ण कार्य होने से सम्बन्धित जानकारी भारत सरकार की पत्र सं0 8बी./यू.सी.पी./06/84/2018/एफ0सी0/1022 दिनांक 21–10–2022 से प्राप्त होने उपरान्त प्रकरण की जांच उप प्रभागीय वनाधिकारी/उप वन प्रभाग, पौड़ी/थलीसैंण एवं वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमीं अमेली रेंज, दमदेवल से स्थलीय जांच करवाई जिसके पश्चात प्रभागीय कार्यालय को विदित हुआ है कि अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा क0सं0 12) में निर्माण किया गया। उक्त कि अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा क0सं0 12) में निर्माण कार्य के लिये प्रभागीय कार्यालय से आदेश पारित नहीं किया गया।

2– बिन्दु सं0–2 के अनुपालन में अवगत करना है कि उक्त प्रस्ताव के वन भूमि हस्तान्तरण के लिये सिविल सोयम भूमि चिन्हित की गई थी, जिसका विवरण संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। **(संलग्नक–2)**

3– बिन्दु सं0–3 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्ताव के प्रस्तावित संरेखण के अनुसर 178 वृक्षों का पातन निहित था जिसके कम में इस कार्यालय की पत्र सं0 585/12–1, दिनॉक 28–08–2019 द्वारा वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमीं अमेली रेंज, दमदेवल को परियोजना में वन भूमि पर खड़े 178 वृक्षों का छपान/पातन किया गया। (व्यास वर्ग/प्रजाति के अनुसार अभिलेख संलग्न हैं, **(संलग्नक–3)**। एवं प्रस्तावित संरेखण से अतिरिक्त मोटर मार्ग के सम्बन्ध में इस कार्यालय की पत्र सं0 3225/12–1, दिनॉक 13.03.2023 से उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, पौड़ी से जांच करवाई गई। उप प्रभागीय वनाधिकारी, पौड़ी की जांच आख्या पत्रांक 820/12–1, दिनॉक 17.05.2023 से इस कार्यालय को अवगत कराया गया है कि परिवर्तित समरेखण से 2.8 कि0मी0 सिविल क्षेत्र के अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वन क्षेत्र (अगस्वाड़ा क0सं0 12) में मोटर मार्ग में अवैध निर्माण कार्य पाया गया। परन्तु **आरक्षित वन क्षेत्र में वृक्षों के क्षति के सम्बन्ध में कोई प्रमाण नहीं पाये गये हैं। प्रभाग स्तर से प्रस्तावित संमरेखण से अतिरिक्त मोटर मार्ग में प्रभावित होने वाले वृक्षों के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा कोई अनुमति नहीं दी गई है।**

4– बिन्दु सं0–4 के अनुपालन में अवगत करना है कि सन्दर्भित पत्र के दिनांक से पूर्व किये गये उल्लघंन से सम्बन्धित पत्राचार इस वन प्रभाग द्वारा उच्च स्तर को नहीं किया गया। तत्पश्चात् उक्त अवैध निर्माण के कम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी,

पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके कम में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवैध निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कोविड लॉक डाउन के दौरान किया गया है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना उनके संज्ञान में नहीं आयी। आरक्षित वन क्षेत्र में उक्त अवैध मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के कार्यभारिक कनिष्ठ अभियन्ता एवं मैसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन, डोभाल मार्ग, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल प्रोपराईटर श्री अनिल डोभाल के विरूद्ध एच–2 केस जारी किया गया है। **(संलग्नक–4)**

5– बिन्दु सं0–5 के अनुपालन में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल का स्पष्टीकरण मांगा गया जिसके कम में तत्कालीन वन क्षेत्राधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त अवैध निर्माण कार्यदायी संस्था द्वारा कोविड लॉक डाउन के दौरान किया गया है जिस कारण उक्त निर्माण कार्य से सम्बन्धित सूचना उनके संज्ञान में नहीं आयी। आरक्षित वन क्षेत्र में उक्त अवैध मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के कार्यभारिक कनिष्ठ अभियन्ता एवं मैसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन, डोभाल मार्ग, थाना मोहल्ला, पौड़ी गढ़वाल प्रोपराईटर श्री अनिल डोभाल के विरूद्ध एच–2 केस जारी किया गया है। संलग्नक–4 के अनुसार।

अतः उक्तानुसार आख्या सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः– **यथोपरि।**

भवदीय,

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांकः 750 / 12-1 **दिनांकित।**

प्रतिलिपिः– प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

(स्वप्निल अनिरूद्ध)
प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

वन क्षेत्राधिकारी, ... आवश्यक कार्यवाही

कार्यालय वन संरक्षक
गढ़वाल वृत्त उत्तराखण्ड पौड़ी
प्राप्ति स0 1462
पत्रांक संख्या 12-1
दिनांक 24/08/24
पत्र किसको भेजा

संलग्नक-1

प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड, देहरादून की पत्र सं0–972/3–5–2, दिनांक 21/11/2017 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसको 10 वर्ष तक रख–रखाव हेतु प्रावधान 1600 पौध/है0 @ 3,06,531.00 मरबूली वर्ष 2019–20 के अनुसार।

परियोजना का नाम– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोडी–धुल्याणी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण का नाम– ग्राम–फल्दाड़ी की सिविल सोयम भूमि। क्षेत्रफल– 2.92 X 2 = 5.84 है0

क्र० सं०	कार्य का विवरण	इकाई		इकाई दर प्रति रु०	व्यय
	प्रथम चरण				
1	2	3		4	5
1	सर्वे व सीमांकन	1.00	है0	168.00	168.00
2	क्षेत्र की सफाई कार्य (झाड़ी कटान आदि कार्य)	1.00	है0	5446.00	5446.00
3	दीवाल बन्दी कार्य/फेन्सिंग कार्य (81 घ०मी० @ 600 प्रति घ०मी०)	1.00	है0	48600.00	48600.00
4	गड्ढे खुदान (0.30 X 0.30 X 0.45) मी0	1600	सं0	10.91	17456.00
5	कन्टूर नाली का सीमांकन	200	र0मी0	1.30	260.00
6	कन्टूर नाली खोदना (0.45 X 0.30) मी0 चौड़ी गहरी	235	र0मी0	92.00	21620.00
7	पौधों की कीमत प्रथम वर्ष	1600	सं0	10.00	16000.00
8	घास उगाने पर व्यय	1000	स्लिप्स	1.60	1600.00
9	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य	1.00	है0	10000.00	10000.00
10	निरीक्षण पटिया का निर्माण करना (प्रति है0) 100 र0 मी0 लम्बी व 0.60 मी0 चौड़ी	60.00	वर्ग मी0	26.00	1560.00
11	अन्य व्यय (जैसे यंत्र–संयत्र, औजार तेज करना)	1.00	है0	1337.00	1337.00
	प्रथम चरण का योग–				124047.00
	द्वितीय चरण				
1	गड्ढे भरान कार्य (0.30 X 0.30 X 0.45) सेमी0	1600	सं0	2.07	3312.00
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	1600	सं0	15.00	24000.00
3	पौध ढुलान कार्य	1600	सं0	13.00	20800.00
4	पौध रोपण कार्य व थावला बन्दी कार्य	1600	सं0	4.04	6464.00
5	घास का ढुलान	1000	स्लिप्स	L.S.	160.00
6	कन्टूर खाईयों में बीज बोना	100	सं0	L.S.	234.00
7	निराई गुडाई एवं मलचिंग (दो बार)	1600	सं0	480.00 प्रति सैकड़ा	7680.00
8	खाद व दवा पर व्यय	1.00	है0	L.S.	1000.00
9	नर्सरी से घास खोदना व काटना (20 सेमी0 ऊंची)	1000	स्लिप्स	0.11	110.00
10	वृक्षारोपण की देख रेख व रख–रखाव पर व्यय 07 माह	1.00	है0	1000 प्रति है0	7000.00
11	1. झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	1.00	है0	5446.00	5446.00
	2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 7.50 मी0 की पट्टी साफ करना	0.15	कि0मी0	663.00	99.00
	3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है0	L.S.	5000.00
12	अन्य व्यय बोर्ड क्रय कर लगाना कण्डी रस्सी आदि	1.00	है0	L.S.	100.00
	द्वितीय चरण का योग–				81405.00
	तृतीय चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष में अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.00	है0	100.00	12000.00
2	1. वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखे घास भूसा एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	1.00	है0	5446.00	5446.00
	2. सुरक्षा दीवाल के बाहर 7.50 मी0 पट्टी साफ करना।	0.15	कि0मी0	663.00	99.00
	3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों की अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना।	1.00	है0	L.S.	5000.00

1	2	3		4	5
3	पौध की कीमत।	160.00	सं0	13.00	2080.00
4	पौध का ढुलान कार्य।	160.00	सं0	20.00	3200.00
5	पुनः गड्ढा खोदना एवं रोपण कार्य करना।	160.00	सं0	11.00	1760.00
6	गोबर खाद का मूल्य ढुलान सहित।	1600.00	सं0	1.95	3120.00
7	शीतकाल में मल्चिंग कार्य।	1600.00	सं0	1.63	2608.00
8	अन्य कार्य।	1.00	है0	500.00	500.00
	तृतीय चरण का योगः–				35813.00
	चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	चतुर्थ चरण का योगः–				9181.00
	पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	पंचम चरण का योगः–				9181.00
	षष्ठ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	षष्ठ चरण का योगः–				9181.00
	सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L.S	961.00
	सप्तम चरण का योगः–				9181.00
	अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	अष्टम चरण का योगः–				9181.00
	नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	नवम चरण का योगः–				9181.00
	दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12 माह)	1.00	है0	685.00	8220.00
2	अन्य कार्य।	1.00	है0	L. S	961.00
	दशम चरण का योगः–				9181.00
	कुल व्यय रू0				306532.00
	सिलिंग के अनुसार देय दर रू0 3,06,531/है0				

हस्तान्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि 2.92 है0 सिविल।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु दुगुनी भूमि 2.92 है0 X 2 = 5.84 है0 X रू0 3,06,531.00 = रू0 17,90,141.04

या रू0 17,90,141.00

(रू0 सत्रह लाख नब्बे हजार एक सौ इकतालीस) मात्र

संलग्नक-2

संलग्नक : 01(16)

आदेश

[illegible] के पत्र संख्या [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] कुल्याणी [illegible] [illegible] हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] तहसील पौड़ी के [illegible] श्रेणी 10(3)4 के [illegible] [illegible] से खेत नम्बर 2502 कुल रकबा 7.039 है0 भूमि [illegible] 5.840 है0 भूमि [illegible] खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] आदि नहीं है। [illegible] प्रस्तावित भूमि पर कोई मन्दिर, मस्जिद या अन्य कोई धार्मिक [illegible] आदि [illegible] प्रस्तावित भूमि उत्तराखण्ड सरकार की केसर हिन्द भूमि है तथा कोई पेड़, मकान, [illegible] आदि नहीं है व सार्वजनिक उपयोग की नही है। प्रस्तावित भूमि विवाद रहित है व प्रस्तावित भूमि वन अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित नहीं है।

2. शासनादेश संख्या: 2173/XVII (2)/2012-18 (120)2010 दिनांक 17.12.2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजना के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 है0 सिविल भूमि को वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकारी जिलाधिकारी को प्रतिनिधानित किया गया है।

अतः जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत चुपलोड़ी-कुल्याणी मोटर मार्ग नवनिर्माण हेतु उपजिलाधिकारी वा0पौड़ी की आख्या एवं उक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशानुसार ग्राम फलद्वाड़ी पट्टी गर्ली कण्डारस्यूं तहसील पौड़ी के नान0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 10(3)4 के खाता संख्या 45 के खेत नम्बर 2502 कुल रकबा 7.039 है0 भूमि अन्य 5.840 है0 भूमि नान जेड0ए0खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उपजिलाधिकारी /तहसीलदार वा0पौड़ी तदनुसार अभिलेखों में अमलदरामद की कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- सचिव,राजस्व अनुभाग,उत्तराखण्ड शासन,देहरादून।
2- आयुक्त,गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
3- नोडल अधिकारी/प्रभागीय वनाधिकारी,गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी।
4- अधिशासी अभियन्ता,पी0एम0जी0एस0वाई,सिंचाई खण्ड,श्रीनगर।
5- उपजिलाधिकारी/तहसीलदार,पौड़ी।

Executive Engineer

(चन्द्रशेखर भट्ट)
जिलाधिकारी,गढ़वाल।

संलग्नक : 02.

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत चपलोड़ी से [illegible] मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु [illegible]जी0एस0वाई के अन्तर्गत ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किया जाना है। उपरोक्त [illegible] हेतु ग्राम–फलद्वाडी, पट्टी बाली कण्डारस्यूँ, तहसील पौड़ी के नान0जेड0ए0 खतौनी श्रेणी 10(3)4 के खाता संख्या 45 के खेत नम्बर 2582 कुल रकवा 7.039 है0 भूमि मध्ये 5.840 है0 भूमि नॉन जेड0ए0 खतौनी के श्रेणी 10(3)4 भीटा अभिलेख दर्ज भूमि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित की गयी है। अधिसूचना सं0 869-F/638 दिनॉक 17.10.1893 तथा उत्तर प्रदेश शासन की पत्र सं0 1506/14–2–97–800 (II)/1997 दिनॉक 17.03.1997 के अन्तर्गत यह भूमि संरक्षित वन है। उक्त भूमि का नामान्तरण आदेश राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है। इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है जिसे पुनः संरक्षित वन घोषित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

प्रभागीय वनाधिकारी,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
पत्रांक 2619 /12-1 दिनांकित, पौड़ी, अप्रैल, 17/05/2022

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक/क्षेत्रीय अधिकारी, (उत्तर मध्य क्षेत्र), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, 25, सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, वन एवं पर्यावरण अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
3. प्रमुख वन संरक्षक (HoFF) उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, देहरादून।
5. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, उत्तराखण्ड, पौड़ी।
6. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
7. गार्ड फाईल।

वन संरक्षक

लेख प्रपत्र सं0 प–11 नकल NZA ग्राम – फालइवाड़ी पट्टी कटुली मल्ला० II तहसील पौड़ी

श्रेणी 10(4) – अन्य अकृषक भूमियां

45	औरा	2582	7.039

जिलाधिकारी महोदय गढ़वाल के आदेश सं० 3466/2014 स्वीकृत दि० 2 जून 2015 के क्रम में एवं उपजिलाधिकारी महोदय (न्या०) पौड़ी के पत्र सं० 88/20 का० 2015–दि० 11 2015 व शासनादेश सं० 214/XVII (2)/2012–18(120)/2 दि० 17/12/2012 के द्वारा विभिन्न सरकारी योजनाओं के लिए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 20,000 हे० सिविल भूमि वन विभाग के पक्ष में नियमानुसार हस्तान्तरित किये जाने का प्राधिकार जिलाधिकारी को प्रति निर्धारित किया गया के क्रम में जनपद गढ़वाल के अन्तर्गत ग्राम फालइवाड़ी पट्टी कटुली मल्ला के NONZA खाता 45 के खेत नं० 2582 कुल रकबा में से भूमि मध्ये 5.840 हे० NONZA खतौनी के श्रेणी 10(3)4 में अंकित भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किये जाने की स्वीकृत प्रदान की गई है, श्रीमान तहसीलदार पौड़ी के आदेश R-K दिनांक पौड़ी आदेश के अनुपालन में दर्ज किया। हस्ताक्षर अस्पष्ट 22 विजय कुमार (पटवारी) रा०उ०नि० बजलचा 22/8/1

नोट – प्रमाणित किया जाता है कि नकल NZA असल की है।

हस्ताक्षर अस्पष्ट
(अरविन्द सिंह)
राजस्व उपनिरीक्षक
पट्टी कटुली मल्ला तहसील
जिला पौड़ी गढ़वाल

संलग्नक-1

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड
श्रीनगर–गढ़वाल।

Phone : + 01346-250799
Fax : + 01346-250799
Email: eepmgsysrinagar@rediffmail
eepmgsysrinagar@gmail.com

पत्रांक 34 /पी०एम०जी०एस०वाई० सिं०ख० श्रीनगर–1/दिनांक 08/01/2024।

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

विषय :– जनपद पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मल्ली मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.92 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग का प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :– आपके कार्यालय के पत्रांक–2387/12–1 : दिनांक पौड़ी माह जनवरी 06/2024।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके क्रम में आप द्वारा चाही गई आख्या निम्नानुसार विन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

क्र0 सं0	विन्दु संख्या	आख्या
1	2	3
1	उक्त मोटर मार्ग के प्रस्ताव के सिविल वनभूमि के अतिरिक्त 403 मी0 आरक्षित वनक्षेत्र (अगस्वाड़ा–क्र0सं0–12) में निर्माण कार्य किस स्थिति से प्रारम्भ हुआ व किस तिथि को कार्य समाप्त हुआ तथा उक्त निर्माण किस आदेश के उपरान्त किया गया।	मोटर मार्ग पर स्टेज–I (मार्ग निर्माण हेतु पहाड कटान का कार्य) अनुबंध संख्या–116/ यू0टी0–08–25 (I)/XIV/CE-URRDA/2018-19/दिनांक 26–11–2018 के अन्तर्गत दिनांक 03–12–2018 से प्रारम्भ किया गया, मार्ग के 403 मी0 आरक्षित वनक्षेत्र (अगस्वाड़ा–क्र0सं0–12) में निर्माण कार्य दिनांक 12–04–2020 से 20–05–2020 तक किया गया है। उक्त मार्ग पर ही स्टेज–II (डामरीकरण) का कार्य अनुबंध संख्या–91/यू0टी0–08–62 (I)/XVII/CE-URRDA/2020-21/दिनांक 31–08–2020 के अन्तर्गत किया गया है डामरीकरण कार्य दिनांक 01–09–2020 से आरम्भ किया गया तथा दिनांक 31–12–2021 को पूर्ण किया गया। मोटर मार्ग वर्तमान में तृतीय वर्ष के अनुरक्षणाधीन है।
2	उक्त मोटर मार्ग के 403 मी0 आरक्षित वनक्षेत्र में मोटर मार्ग निर्माण कार्य करने पर सम्बन्धित कार्यभारिक का नाम एवं पता।	उक्त मोटर मार्ग का स्टेज–I एवं II का निर्माण कार्य मैसर्स शिवा कन्स्ट्रक्शन, डोभाल मार्ग, थाना मौहल्ला, पौडी गढ़वाल प्रोपराईटर श्री अनिल डोभाल द्वारा किया गया है।

संलग्न– दोनो अनुबंध की छायाप्रति।

अधिशासी अभियन्ता

DUPLICATE COPY

Uttarakhand Rural Roads Development Agency

An Agency of Rural Development Department, Govt. of Uttarakhand
Ist Floor, Directorate of Panchayati Raj, Opp. IT Park, Sahastradhara Road, Dehradun.

Extract of Contract Bond No. 116 /UT-08-25(I)/XIV/URRDA/2018-19 Date 2?/11/18

1. Tender ID: 2018_CCUK_66190_30
2. Name of Work: Chaplodi to Kulyani Malli M/R Stage-I
3. Phase/ Package No.: XIV/ UT-08-25
4. Stage: I
5. Name & Add. of Contractor: M/s Shiva Construction, Dobhal Road, Thana Mohalla, Pauri.
6. Date of Technical Sanction: ____

	Total Cost	Const. Cost	Main. Cost
7. Sanctioned Cost	: 751.02 Lacs	721.00 Lacs	30.02 Lacs
8. BOQ Cost	: 741.01 Lacs	719.11 Lacs	21.90 Lacs
9. Agreement Cost	: 708.88 Lacs	686.98 Lacs	21.90 Lacs

10. Date of Start: 03/12/18

11. Date of Completion: (a) As per agreement: 02/06/20 (b) Actual date of completion ____

12. Time Extension if any: ____

13. (a) Performance Security: Rs. 17.72 Lakh
   - (i) TDR-UGB No-298991 dated 24.10.2018. Amount – Rs. 2.70 Lakh
   - (ii) TDR-UGB No-298945 dated 01.09.2018. Amount – Rs. 15.02 Lakh

   (b) Additional Performance Security: Rs. 8.15 Lakh
   - (i) TDR-UGB No-298992 dated 24.10.2018. Amount – Rs. 8.15 Lakh

Name of PIU- Srinagar-I Name of Circle- Srinagar

संलग्नक-2

प्रारुप–15

परियोजना विवरण :–जनपद पौडी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में घपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण।

लैण्ड शैडयूल (आरक्षित वन भूमी)

जिला	वन प्रभाग का नाम	वन राजि का नाम	वन ब्लाक का नाम	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	क्षेत्रफल (हे0)
पौड़ी गढ़वाल	← शून्य →					

प्रयोक्ता एजेन्सी
Assistant Engineer
PMGSY,ID.Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

अधिशासी अभियन्ता
पी एम.जी.एस.वाई
सिंचाई खण्ड, श्रीनगर

प्रभागीय वनाधिकारी
प्रभागीय वनाधिकारी

वन क्षेत्राधिकारी
पश्चिमी अमेली रेंज

उप प्रभागीय वनाधिकारी
पौड़ी उप वन प्रभाग
पौड़ी

प्रारुप–15.1

परियोजना का नाम :–जनपद पौडी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में घपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण।

लैन्ड शेड्यूल

भूमि की श्रेणी	जिला	तहसील	ब्लाक	खसरा सं0	कुल रकबा	परियोजना की लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	आवेदित क्षेत्रफल (हे0)
सिविल एवं सोयम	पौड़ी	चाकीसैंण	पाबौ	2291	0.360	400.00	9.00	0.360
				637	0.270	300.00	9.00	0.270
				454	0.270	300.00	9.00	0.270
				266	0.045	50.00	9.00	0.045
				1300	0.360	400.00	9.00	0.360
				1268	0.135	150.00	9.00	0.135
				2959	0.045	50.00	9.00	0.045
				3106	0.135	150.00	9.00	0.135
				3151	0.135	150.00	9.00	0.135
				3152	0.090	100.00	9.00	0.090
				381	0.018	20.00	9.00	0.018
				1121	0.027	30.00	9.00	0.027
				1135	0.045	50.00	9.00	0.045
				1384	0.031	35.00	9.00	0.031
				1850	0.067	75.00	9.00	0.067
				2442	0.041	45.00	9.00	0.041
				2487	0.045	50.00	9.00	0.045
				1853	0.009	10.00	9.00	0.009
				4152	0.270	300.00	9.00	0.270
				3425	0.090	100.00	9.00	0.090
				325	0.090	100.00	9.00	0.090
				1199	0.342	380.00	9.00	0.342
वन पंचायत	–	–	–	–	–	–	–	–
योग वन भूमि	–	–	–	–	2.920	–	–	–
नाप भूमि	–	–	–	–	–	–	–	–
कुल योग	–	–	–	–	2.920	–	–	2.920

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी

Assistant Engineer
PMGSY,ID.Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

(सम्पूर्णानन्द ... (जुगराम)
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ...
तहसील पौड़ी
जनपद पौड़ी गढ़वाल
...

ह0/
जिलाधिकारी

परगना मजिस्ट्रेट ... जिलाधिकारी
पौड़ी गढ़वाल

प्रारुप–16

परियोजना विवरण :– जनपद पौडी गढ़वाल में पी0एम0जी0एस0वाई0 श्रीनगर गढ़वाल के अन्तर्गत विकासखण्ड पाबौ में चपलोडी से कुलयाणी मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की लम्बाई–चौड़ाई का विवरण।

क्र0सं0	भूमि की श्रेणी	लम्बाई (मीटर में)	चौड़ाई (मीटर में)	कुल क्षेत्रफल (हे0 में)
1	आरक्षित वन भूमि	–	–	–
2	सिविल सोयम भूमि	3245.00	9.00	2.920
3	वन पंचायत भूमि	–	–	–
4	अन्य श्रेणी की वन भूमि (यदि लागू हो)	–	–	–
	वन भूमि का योग	3245.00	9.00	2.920 हे0
5	नाप भूमि	11030.00	9.00	9.927 हे0
	कुल योग–			

ह0/
प्रयोक्ता एजेन्सी
Assistant Engineer
PMGSY,ID.Srinagar
Distt. Pauri Garhwal

राजस्व उपनिरीक्षक
तहसील पौड़ी

ह0/
जिलाधिकारी

ंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माणं हेतु मणकोली से फल्द्वाड़ी व कुल्याणी तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु **2.92** वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान सूची। (कुल 178 वृक्ष)

	प्रजाति	व्यासवर्ग								योग		कुल योग
		10–20	20–30	30–40		40–50		50–60				
मणकोली सिविल	चीड़			F	U	F	U	F	U	F	U	
		04	11	09	–	06	–	02	–	17	15	32
	बाँज	10–20	20–30	30–40		40–50		50–60		योग		
		28	24	07		01		–		60		60
	योग	32	35	16		07		02		92		92
फल्द्वाड़ी सिविल	चीड़	10–20	20–30	30–40		40–50		50–60		योग		
				F	U	F	U	F	U	F	U	
		–	14	43	–	05	–	–	–	48	14	62
	बाँज	10–20	20–30	30–40		40–50		50–60		योग		
		15	05	–		–		–		20		20
	बुराँश	–	–	–		02		–		02		02
	काफल	–	–	01		01		–		02		02
	योग	15	19	44		08		–		86		86
कुल योग		47	54	60		15		02		178		178

1. लौट में छपान किये गये वृक्षों पर लाल पेंट से नम्बर अंकित किये गये हैं।
2. लौट में लुढ़कान वर्जित है।
3. मणकोली से लौट की दूरी 6.00 (छः) कि.मी. एवं फल्द्वाड़ी से 8.00 (आठ) कि.मी. है।
4. लौट में किसी प्रकार की क्षति, अवैधानिक कार्य हेतु क्रेता स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. मणकोली में पानी उपलब्ध नहीं है। लगभग 1.50 कि.मी. से पानी का ढुलान करना होगा व फल्द्वाड़ी में पानी उपलब्ध है।
6. लौट विकास कार्य से सम्बन्धित है। अतः एक माह के भीतर कटान कार्य पूर्ण करना होगा।
7. लौट के पूर्व में ग्राम मणकोली, पश्चिम में फल्द्वाड़ी व चौड़िख, उत्तर में चपलोड़ी व दक्षिण में धुलेत बीट की बाउन्ड्री है।

लौट सं० 3/2019-20 (विकास कार्य)
क्रेता का नाम - वन विकास निगम पौड़ी
अवधि - 31/03/2020

प्रति-हस्ताक्षरित

प्रभागीय वनाधिकारी
गढ़वाल वन प्रभाग पौड़ी

वन क्षेत्राधिकारी
...मी अमेली रें.

(उपेन्द्र सिंह)
वन दरोगा

संलग्नक-3

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गढ़वाल वन प्रभाग,पौड़ी

पत्रॉक:- 773 /: 9-1(3): दिनॉक: पौड़ी, सितम्बर 16 2019

सेवा में,

प्रभागीय लौगिंग प्रबन्धक,
उत्तराखण्ड वन विकास निगम, पौड़ी।

विषय— **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग निर्माण हेतु मणकोली से फल्द्वाड़ी व कुल्याणी तक वन भूमि में प्रभावित होने वाले वृक्षों की छपान सूची।**

महोदय,

लौट संख्या-03/2019-20(विकास कार्य) के रूप में छपान/विक्रय सूची सहित आपको आवंटित की जाती है। लौट में विक्री प्रतिबन्धों/नियमों के अनुसार कार्य किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निम्न कार्यवाही पूर्ण कर दी जायः-

1- रेंज सीमा पंजिका में सुरक्षित पाने का प्रमाण पत्र सम्बन्धित रेंज अधिकारी को दिया जाय। जिसमें कि वन विकास निगम के प्रतिनिधि/अनुभाग अधिकारी के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक सहित हों।
2- लौट में देख-रेख हेतु वन विकास निगम अपने कार्मिकों की तैनाती करें।
3- उक्त लौटों में कार्य शीघ्र प्रारम्भ करते हुए उससे उत्पादित प्रकाष्ठ का विवरण देते हुए निकासी समयान्तर्गत कर ली जाय।
4- सम्पत्ति घन एवं रवन्ना बुक का पंजीकरण नियमानुसार किया जाय।
5- उक्त लौटों की छपान सूची तैयार करने में पूर्ण सावधानी बरती गई है। छपान/विक्रय सूची के अनुसार ही आवंटित वृक्षों का पातन किया जाय।
6- छपान सूची के अतिरिक्त यदि कोई अवैध पातन किया गया तो इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

अतः उक्त आवंटित लौटों की छपान/विक्रय सूची 3 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जाती है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार
(3 प्रतियों में)

भवदीय,

(लक्ष्मण सिंह रावत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

क्रमशः ---- 2 पर

पत्रांक 773 (1) 9—1(3) दिनांकित।

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को मय संलग्न प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
2— मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड, पौड़ी।
3— क्षेत्रीय प्रबन्धक (गढ़वाल), उत्तराखण्ड वन विकास निगम, बद्रीनाथ मार्ग कोटद्वार।
4— वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(लक्ष्मण सिंह रावत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

पत्रांक 733 (2) 9—1(3) दिनांकित।

प्रतिलिपिः— वन क्षेत्राधिकारी, पश्चिमी अमेली रेंज, दमदेवल तथा उप प्रभागीय वनाधिकारी, उप वन प्रभाग, थलीसैंण को उपरोक्त मय छपान/विक्रय सूची की प्रति सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कि वे वन विकास निगम के प्रतिनिधि को छपान/विक्रय सूची में दर्शित वृक्षों को सौंपकर सुरक्षित पाने का प्रमाण—पत्र प्राप्त कर इस कार्यालय को प्रेषित करते हुए आवंटित वृक्षों का पातन/निस्तारण समायान्तर्गत वन विकास निगम से करते हुए उसकी प्रगति सूचना सी—4(ए) में निर्धारित प्रपत्रानुसार प्राथमिकता से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार।

(लक्ष्मण सिंह रावत, भा.व.से.)
उप वन संरक्षक,
गढ़वाल वन प्रभाग, पौड़ी।

संलग्नक-4

वन विभाग गढ़वाल वृत्त गढ़वाल वन प्रभाग संलग्नक (1)

अवैध खनन प्रसूचना (रिपोर्ट) सं० 01 दिनांक 02/01/2024 अधि क्षेत्र (रेंज) प० अ०रेंज दमदेवल

१— नाम पिता का नाम और निवास स्थान 1. अनिल डोभाल राजकीय ठेकेदार थाना मोहल्ला पौड़ी

D.C. No. 15/2024-25 2. कनिष्ठ अभियन्ता PMGSY सिंचाई खण्ड, श्रीनगर-1 गढ़वाल

रेंज केस स० 01/प०अ०/2024-25

२— साक्षी का नाम उपप्रभागीय वनाधिकारी महोदया उपवनप्रभाग पौड़ी/थलीसैंण वन क्षेत्राधिकारी महोदय पश्चिमी अमेली रेंज दमदेवल अनुभाग अधिकारी चौरीखाल अनुभाग स्वयं बीट अधिकारी धुलेत बीट

३— कथित अपराध का पूरा विवरण और दिनांक 12/02/2020 से 20/05/2020 तक भारत सरकार द्वारा अनुमोदित चपलोड़ी से कुल्याणी मोटर मार्ग के प्रस्तावित संरेखण के बाहर आरक्षित वन क्षेत्र अगरखाड़ कं०सं० 2 में 403 मीटर लम्बाई एवं 7 मीटर चौड़ाई (0.2821 है०) में मोटर मार्ग का अवैध निर्माण किया गया। उक्त निर्माण कार्य अनिल डोभाल राजकीय ठेकेदार द्वारा किया गया एवं संरेखण अनुसार निर्माण कार्य करवाने हेतु तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता प्रत्यक्ष रूप से भारसाधक और उत्तरदायी थे।

४— मूल्य विभागीय नियमानुसार

५— चालान और अनुसन्धान (इन्वेस्टिगेशन) के सम्बन्ध में कथन प्रथम सूचना रिपोर्ट वन क्षेत्राधिकारी महोदय पश्चिमी अमेली रेंज दमदेवल को दो प्रतियों में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

६— सूचना (रिपोर्ट) के ब्योरे और प्रमाण आदि का उल्लेख महोदय क्र०सं० 01 में दर्ज अभियुक्तों द्वारा वन अपराध किया गया है। जो कि भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 26 (क) (छ) (ज) के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

[signature] Singh